प्ररूप सं. 3सीईडी (3गङघ)

(नियम 10झ का उपनियम (1) देखें)

अग्रिम कीमत निर्धारण करार के लिए आवेदन

सेवा में,

सक्षम प्राधिकारी, भारत

या

आयकर महानिदेशक (अंतरराष्ट्रीय कराधान)

नई दिल्ली

महोदय/महोदया,

मैं .... (आवेदक का नाम) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ करार पर बातचीत करने का इच्छुक हूं । मैं इसके साथ आवश्यक विशिष्टियां प्रस्तुत कर रहा हूं :

I. साधारण

1. आवेदक की विशिष्टियां :

क. आवेदक का पूरा नाम :	....
ख [1][*स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक*] :	....
ग. आवेदक का पता :	....
घ. संपर्क के लिए पता :	....
ङ. भारत में कारबार उद्यम की अवस्थिति (यां) :	....
च. उस व्यक्ति का ई-मेल और संपर्क संख्या जिससे पत्राचार किया जाना अपेक्षित है :	....
छ. प्राधिकृत प्रतिनिधियों का नाम और पता जो करार पर बातचीत के लिए प्राधिकारियों के समक्ष उपस्थित होंगे :	....

2. क्या आवेदक ने फाइल करने से पूर्व चर्चा की इच्छा की है ? यदि हां, तो प्रस्तुत करें :

क. फाइल करने से पूर्व बैठक के लिए आवेदन की तारीख :	....
ख. करार दल के साथ फाइल करने से पूर्व बैठक (कों) की तारीख :	....

3. सहबद्ध उद्यमों (एई) के नाम जिनके साथ करार का अनुरोध किया गया है :	....

---

1. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

4.	उस देश (शों) का नाम जिनमें ऊपर 3 में वर्णित सहबद्ध उद्यम अवस्थित हैं :	....
5.	(*क*) क्या आप एकपक्षीय, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार के लिए आवेदन कर रहे हैं :	.... एकपक्षीय/द्विपक्षीय/बहुपक्षीय
	(*ख*) यदि आप द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार के लिए आवेदन कर रहे हैं तो क्या सहबद्ध उद्यम ने अपने निवास के देश में सक्षम प्राधिकारी के पास करार के लिए आवेदन किया है :	.... हां/नहीं
	(*ग*) यदि हां तो अन्य सक्षम प्राधिकारी के पास ऐसा आवेदन करने का साक्ष्य संलग्न करें :	....
	(घ) यदि नहीं तो किस तारीख तक अन्य सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन करने का प्रस्ताव है :	....
	(*ङ*) यदि आवेदन एकपक्षीय करार के लिए है और ऐसे निकाय के साथ अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार अंतर्वलित हैं जिसके साथ भारत का दोहरे कराधान का परिवर्जन करने के लिए अधिनियम की धारा 90 या 90क के अधीन करार है तो कृपया स्पष्टीकरण दें कि द्विपक्षीय या बहुपक्षीय करार के लिए अनुरोध क्यों नहीं किया गया है :	....
	(च) *क्या किसी रोलबैक का अनुरोध किया गया है*	.... *हां/नहीं*
	(छ) *यदि हां, तो सुसंगित प्ररूप सं. 3गङघक की प्रति संलग्न करें*	....
6.	आवेदक द्वारा संदत्त फीस की विशिष्टियां :	.... रकम रुपयों में चालान सं. .... तारीख
7.	प्रस्तावित एपीए की अवधि उस तारीख सहित जिससे एपीए का लागू होना चाहा गया है :	....
8.	एपीए में समाविष्ट किए जाने वाले प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों के ब्यौरे (उस संपत्ति या सेवाओं का विवरण जिससे प्रस्तावित एपीए संबंधित है) :	....
9.	प्रस्तावित अंतरण की मत निर्धारण पद्धति (यां) :	....
10	एपीए के लिए प्रस्तावित निर्बन्धन और शर्तें और समालोचनात्मक धारणाएं :	....
11	आवेदक और सहयुक्त उद्यम का इतिहास और पृष्ठभूमि :	....
12	कारबार और उत्पादों/सेवाओं का साधारण वर्णन :	....
13	मुख्य संव्यवहार प्रवाह सहित बहुराष्ट्रीय संरचना, संगठनात्मक प्रबंध,	....

कार्यचालन संबंधी गठन :

14 बहुराष्ट्रीय उद्यम के अन्य सभी संव्यवहार प्रवाहों की पहचान करना (परिमाण, निदेश और रकम) जो समाविष्ट संव्यवहारों के कीमत निर्धारण का समाघात करें : ....

15 प्रत्येक सत्ता के लिए फलनिक करेंसी और वह करेंसी जिसका उपयोग एपीए के अधीन समाविष्ट किए जाने वाले प्रस्तावित संव्यवहारों के लिए किया गया है : ....

16 लेखा और लागत प्रणाली, नीतियां, प्रक्रियाएं और व्यवहार जिसके अंतर्गत ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण वित्तीय और कर लेखा मतभेद भी हैं जो टीपीएमएस को प्रभावित करें : ....

II. कृत्यकारी विश्लेषण

17 आवेदक और सभी सुसंगत सत्ताओं का समाविष्ट संव्यवहारों की बाबत ब्यौरेवार फलनिक विश्लेषण : ....

18 कारबार युक्तियां - प्रस्तावित एपीए द्वारा समाविष्ट भावी कालावधि के लिए चालू और भावी बजट विवरण प्रक्षेप और कारबार योजनाए, साधारण कारबार और उद्योग रुख भावी निदेश/कारबार युक्ति जिसके अंतर्गत आर एंड डी, उत्पादन और विपणन भी है : ....

19 वित्तीय और प्रचालन सूचना जिसके अंतर्गत निगम वार्षिक रिपोर्टें भी हैं (कृपया प्रतियां संलग्न करें)

क. पूर्व पांच वर्षों या नवीनतम कारबार चक्र के लिए यथाविनियोजित समेकित और असमेकित आधार पर वित्तीय विवरण (प्रस्तुत किए जाने की तारीख से पूर्व नवीनतम कालावधि के लिए अंतरिम विवरण भी दें) : ....

ख. पूर्व तीन वर्षों के लिए आयकर विवरणियां और संबद्ध समर्थक अनुसूचियां जिसके अंतर्गत प्ररूप 3गड़ख भी है : ....

ग. पूर्व पांच वर्षों या नवीनतम कारबार चक्र के लिए यथा विनियोजित उत्पाद रेखा खंड इकाई और भौगोलिक क्षेत्र द्वारा विभाजित प्रचालन आंकड़े (सकल और शुद्ध) : ....

20 सुसंगत विपणन और वित्तीय अध्ययन (कृपया प्रतियां संलग्न करें) : ....

21 सभी सुसंगत अंतर-कंपनी करारों की प्रतियां (कीमत निर्धारण, लागत हिस्सेदारी, लाइसेंसिंग, वितरकता) (कृपया प्रतियां संलग्न करें) : ....

III. उद्योग और बाजार विश्लेषण

22 ब्यौरेवार उद्योग विश्लेषण :

क. उद्योग के साथ ही साधारण रूप से स्वीकृत औद्योगिक और वाणिज्यिक व्यवहारों का व्यापक वर्णन : ....

ख. प्रतियोगियों जिसके अंतर्गत क्रमिक बाजार हिस्सेदारी भी है, की पहचान और साधारण रूपरेखा : ....

विश्लेषण/अध्ययन : ....

घ. सफलता के समालोचनात्मक कारक : ....

23 अंतर्वलित सभी देशों के बाजारों के ब्यौरेवार विश्लेषण : ....

IV. अंतरण कीमत निर्धारण पृष्ठभूमि

24 क. भारतीय विधि ....

ख. विदेशी विधि ....

ग. भारत और दूसरे देश के बीच आयकर संधि के अनुसार सुसंगत विधिक बातों और अपेक्षाओं की चर्चा : ....

25 पिछले तीन वर्षों के दौरान समाविष्ट संव्यवहारों या कारबार चक्र के लिए यथा विनियोजित आवेदक और सहयुक्त उद्यमों द्वारा उपयोग में लाई गई अंतरण कीमत निर्धारण पद्धतियों, नीतियों और व्यवहारों की चर्चा : ....

26 सुसंगत विनिर्णयों, एपीएएस/बीएपीएस/एमएपीएस और आवेदक (या उसके सहयुक्त उद्यम) और भारतीय या विदेशी कर प्रशासकों द्वारा किए गए अंतरण कीमत निर्धारण या अन्य मूल्यांकन आधारों या अन्य कर मामलों के लिए विदेशी कर प्रशासकों के साथ किए गए अन्य समरूप प्रबंधों की चर्चा : ....

27 सुसंगत भारतीय आयकर संपरीक्षा, अपील, न्यायिक और सक्षम प्राधिकारी इतिहास की चर्चा : ....

28 सुसंगत विदेशी आयकर संपरीक्षा, अपील, न्यायिक और सक्षम प्राधिकारी इतिहास की चर्चा : ....

29 अनिर्धारित कराधान वर्षों (भारतीय और विदेशी) और संबंधित बकाया कर, विधिक और अन्य संबद्ध विवाद्यकों की चर्चा : ....

V. अंतरण कीमत निर्धारण पद्धति का विश्लेषण

30 समस्त सूचना दीजिए जिसके अंतर्गत भारतीय आयकर विधि में यथा अंतर्विष्ट अंतरण कीमत निर्धारण विनियमों के अनुसार प्रस्तावित टीपीएम की समुचितता सिद्ध करने के लिए आवश्यक ब्यौरेवार विश्लेषण और स्पष्टीकरण भी है : ....

31 प्रत्येक अनुप्रयुक्त या अस्वीकृत समाविष्ट संव्यवहार के लिए प्रत्येक अंतरण कीमत निर्धारण पद्धति की चर्चा और उसका विश्लेषण । विशिष्ट रूप से स्वीकृत या अस्वीकृत आंतरिक तुल्यों का ब्यौरा दें (ऐसी धारणाओं, युक्तियों और नीतियों को उपदर्शित करें जो प्रत्येक टीपीएम की स्वीकृति और अस्वीकृति को प्रभावित करें) : ....

32 चयनित टीपीएमएस और द्वितीय टीपीएमएस, यदि किसी स्वस्थचित्तता जांच के रूप में प्रयुक्त किए गए हों, का संक्षिप्त विवरण : ....

VI. प्रस्तावित अंतरण कीमत निर्धारण पद्धति का समाधात

33 तीन पूर्व वर्षों के प्रचालनों या नवीनतम कारबार चक्र के लिए समाविष्ट संव्यवहारों के लिए प्रस्तावित टीपीएमएस का आवेदन और चर्चा के ....

परिणाम :

34 उस समयावधि के लिए, जिसके लिए आवेदक एपीए को समाविष्ट करना चाहता है, प्रस्तावित टीपीएमएस का आवेदन और चर्चा के परिणाम : ....

35 धारा IV में अनुप्रयुक्त अवधि में अंतर, यदि कोई हों, की चर्चा और अनुमान : ....

मैं, यह घोषणा करता हूं कि आवेदन में दी गई सूचना मेरी समस्त जानकारी और विश्वास में सही और सत्यकथित है ।

....

भवदीय

....

आवेदक

स्थान : ....

तारीख : ....

टिप्पणी :

1. द्विपक्षीय या बहुपक्षीय एपीए आवेदन सक्षम प्राधिकारी अर्थात् संयुक्त सचिव एफटीएंडटीआर-1, नई दिल्ली के समक्ष तीन प्रतियों में फाइल किए जाएंगे ।
2. एकपक्षीय एपीए आवेदन महानिदेशक, आयकर (अंतर्राष्ट्रीय कराधान) नई दिल्ली के समक्ष तीन प्रतियों में फाइल किए जाएंगे ।
3. यदि आवेदन में किसी मद का उत्तर देने के लिए दिया गया स्थान अपर्याप्त पाया जाए तो इस प्रयोजन के लिए पृथक् संलग्नक लगाया जा सकता है । ये संलग्नक आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए ।
4. फीस, नियम 4 के उपनियम (5) के अनुसार संगणित की जाएगी ।
5. आवेदन के साथ सभी सुसंगत दस्तावेज होंगे ।